बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संख्या-5/आ०-4-108/2014- 670 पटना, दिनांक- 11/7/18

मो० एकरामुल हसन, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जहानाबाद के विरूद्ध झारखण्ड राज्य में योगदान करने हेतु मूल पद से विरमित होने के पश्चात् भी बिना सक्षम प्राधिकार की अनुमति के जिला परिषद्, अररिया के कार्यालय में कार्यरत्त रहने, झारखण्ड राज्य से बिहार राज्य में सेवा आवंटित होने के पश्चात् मुख्यालय, पटना में योगदान नहीं करने, भरगामा एवं अररिया प्रशाखा का स्थल लेखा का प्रभार देने में अनावश्यक विलम्ब करने तथा अपने चल एवं अचल सम्पत्ति का ब्यौरा विभाग में समर्पित नहीं करने से संबंधित आरोप का मामला विभाग के संज्ञान में आया।

2. समीक्षोपरान्त मो० हसन के विरूद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोपों के आलोक में आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय आदेश संख्या-966, दिनांक-27.11.2016 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(2) के तहत विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री निखिलेन्दु निखिल, तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर को जाँच संचालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. श्री निखिलेन्दु निखिल, तत्कालीन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-97, दिनांक-30.01.2018 के द्वारा प्रसंगाधीन जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में मो० हसन के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में गठित कुल चार आरोपों में से आरोप संख्या-1 को तकनीकी रूप से प्रमाणित एवं व्यवहारतः अप्रमाणित, आरोप संख्या-2 एवं 4 को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा आरोप संख्या-3 को प्रमाणित पाया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-218, दिनांक-12.03.2018 एवं स्मार पत्रांक-348, दिनांक-13.04.2018 के द्वारा मो० हसन को जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों के मद्देनजर द्वितीय कारणपृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया। विभागीय निदेश के आलोक में मो० हसन के पत्रांक-शून्य, दिनांक-08.05.2018 के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा का प्रत्युत्तर विभाग को समर्पित किया गया। विभाग द्वारा मो० हसन से प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर की समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरान्त उसे अस्वीकार योग्य पाया गया।

4. उक्त के आलोक में समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-14(IV) के तहत मो० एकरामुल हसन, तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अररिया सम्प्रति कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जहानाबाद के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है:-

(i) **संचयी प्रभाव के साथ दो वेतनवृद्धियों पर रोक।**

11.7.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-5/आ०-4-108/2014- 670 पटना, दिनांक- 11/7/18

प्रतिलिपि-जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.7.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक-5/आ०-4-108/2014- 670 पटना, दिनांक- 11/7/18

प्रतिलिपि-सचिव के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्र०को०)/उप सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी सहायक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2/आई०टी०, मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/मो० एकरामुल हसन, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.7.18

(सतीश चन्द्र मिश्र)
अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव।